

6/2/2020

जिला कलेक्टर, अजमेर

उभय पक्ष अग्निभाष्य उपास्थित। अपीलान्ट स्वयं उपास्थित। अपीलान्ट। अग्नि अपीलान्ट द्वारा पार्थना-पत्र वास्तु मुकदमा नही चलाने का बत पत्र कर मुख्यतः निवेदन दिया कि प्रस्तुत अपील चलाने योग्य नही होने से अपीलान्ट इसे आगे नही चलाना चाहते हैं। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर रजिस्ट्रिज फरमाइजेक्टे। सहभाति स्वरूप अपीलान्ती पुरस्कारतम पारावार द्वारा आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित दिये पहचान स्वरूप उनके अग्निभाष्य श्री उमल जी द्वारा हस्ताक्षर दिये गये।

चूँकि अपीलान्ट द्वारा स्वयं अपील को चलाने योग्य नही मानते इस आगे नही चलाकर इसी स्तर पर अपील को रजिस्ट्रिज किये जाने का निवेदन दिया गया है। लिहाजा प्रस्तुत विद्वा पार्थना पत्र स्वीकार दिया जाकर अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर इसी कदर से रजिस्ट्रिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

२०

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलेक्टर, अजमेर

पुनर्विचार
6/2/2020

g d s n d f i c
R o d m e n